



सामग्री प्रबंधन विभाग

1.0 प्रमुख विशेषताएं -

1.1 सामग्री प्रबंधन विभाग के कार्यों में परिचालन चरण की आवश्यकताओं के साथ निगम द्वारा ग्रहण की गई परियोजना गतिविधियों के लिए भी पूरी सप्लाई चैन की व्यवस्था करना शामिल है। सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख भंडार नियंत्रक हैं जो निदेशक (रेल पथ एवं कार्य) के माध्यम से प्रबंध निदेशक/कोंकण रेलवे को रिपोर्ट करते हैं।

सामग्री प्रबंधन विभाग कुशल सप्लाई चैन प्रबंधन के माध्यम से समय पर और किफायती आपूर्ति के जरिए लगातार ग्राहक-संतुष्टि और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। गुणवत्ता का लक्ष्य ग्राहक की अपेक्षाओं को अधिक से अधिक पूरा करना और समय पर 100% सुपुर्दगी के लिए कार्य करना है।

1.2 कोंकण रेलवे में एम.एम.डी. (सामग्री प्रबंधन विभाग) ट्रैक मर्दों सहित परंतु चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक दवाओं को छोड़कर सभी मर्दों की खरीद की व्यवस्था की जाती है। कोंकण रेलवे में स्वयं का रोलिंग स्टॉक नहीं है। इस प्रकार के सभी प्रमुख शेड्यूल को स्वयं रेलवे द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं और कोंकण रेलवे द्वारा केवल सेकंडरी अनुरक्षण मड़गांव के पास वेर्णा में कार्यान्वित किया जाता है। परिसंपत्तियों की उम्र बढ़ने के साथ-साथ सीटीआर, टीएफआर, टीआरआर जैसे बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन के मामले को छोड़कर, इंडेंट की गई मात्रा धीरे-धीरे बढ़ रही है। इसलिए अन्य रेलों की तुलना में सामग्री की आवश्यकता सामान्य के तौर पर बहुत कम रहती है। कोंकण रेलवे में प्रेषण की सामान्य पद्धति भारतीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक खरीद सेवा के ई-निविदा के माध्यम से होती है।

2.0 मर्दों की स्टॉकिंग: - फिलहाल कोंकण रेलवे में मर्दों का स्टॉक नहीं रखा जाता। अनुरक्षण गतिविधियों के लिए पूरी सामग्री नॉन स्टॉक आइटमों के जरिए ही की जाती है, जिसे बहुत कम समय की सूचना पर खरीद कर उसकी आपूर्ति की जाती है। उपयोगकर्ता विभागों द्वारा भी उप-भंडार नहीं रखे जाते हैं इसीलिए नॉन-स्टॉक मांग-पत्रों के अंतर्गत प्राप्त आपूर्ति का एक हिस्सा दिए जाने वाले भंडार के रूप में डिपो में रखा जाता है और उपयोगकर्ता विभाग द्वारा आवश्यकता होने पर डिपो से लिया जाता है



सामग्री प्रबंधन विभाग

3.0 खरीद गतिविधियां

3.1 सामग्री की खरीद – कार्पोरेट कार्यालय, बेलापुर नवी मुंबई में खरीद को केंद्रीकृत किया गया है जबकि स्थानीय खरीद के साथ-साथ अत्यावश्यक वस्तुओं की खरीद डिपो अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय संस्थानों रत्नागिरी तथा कारवार में संगठित किया जाता है। यदि वे पर्याप्त नहीं हैं और नए मर्दों के मामले में निकटवर्ति रेलवे से अनुमोदित विक्रेताओं अन्य स्रोतों के संभावित आपूर्तिकर्ताओं से लिया जाता है। प्रमुख एजेंसियों जैसे आर.डी.एस.ओ, इंटीग्रल कोच फैक्टरी और डीजल इंजन कारखाना आदि द्वारा छांट कर चुने गए अनुमोदित विक्रेताओं से ही खरीद की जाती है। दूसरे मर्दों के लिए कोकण रेलवे के अनुमोदित विक्रेता रखे जाते हैं। सामान्य उपयोग की वस्तुओं की खरीद GeM पोर्टल पर की जाती है।

यदि वे पर्याप्त नहीं होते या कोई मद नया होने के मामले में नजदीकी रेलों द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं को रखा जाता है। आमतौर पर खरीद विनिर्माताओं के जरिए की जाती है और जहां वे सीधे आपूर्ति नहीं करते वहां उनके नामित डीलरों के जरिए खरीद की जाती है। जहां आई.एस.आई. प्रमाणित उत्पाद उपलब्ध होते हैं, उनकी खरीद की जाती है अन्यथा ब्रांडेड मर्दों की खरीद किसी भी वरीयता के बिना की जाती है। इससे अपेक्षित गुणवत्ता/विनिर्देशों के अनुसार सामग्री की आपूर्ति में सुविधा होती है।

3.2 सरकारी ई-मार्केटप्लेस [जीईएम] से खरीद -

सामग्री प्रबंधन विभाग ने अक्टूबर 2017 से सरकारी ई-मार्केट [जीईएम] के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया सफलतापूर्वक शुरू की गई है। इसे लागू करने के लिए सभी पीएसयू में से कोकण रेलवे सबसे एक प्रमुख अग्रणी पीएसयू था।

साल	जेम पर क्रय आदेशों की संख्या	खरीद का कुल मूल्य	जेम पर कुल खरीदी (Rs. In Cr)	GeM से की गई खरीद का प्रतिशत (%)
2017-18	44	102.47	0.75	0.73
2018-19	83	81.08	1.58	1.95
2019-20	142	57.84	1.43	2.47
2020-21	260	46.00	6.44	14.00
2021-22	496	43.30	27.36	63.19
2022-23	573	120.40	70.09	58.21
2023-24	734	156.88	56.39	35.94
2024-25	772	112.98	55.66	49.26
2025-26	138	42.13	13.90	32.99

3.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीदी (विनिर्देशन / गुणवत्ता की क्षर्ते पूरा करने के लिए)

जुलाई 2012 से रेलवे में लागू एमएसएमई अधिनियम के मुताबिक, कोकण रेलवे निविदा मात्रा के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कीमत एल-1 + 15% के बैंड के भीतर प्रदान करते हुए एम.एस.ई. के अलावा एल-1 कीमत नीचे मूल्य लाने पर सहमत हो जाने के साथ खरीद कम से कम 20% की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा एम.एस.ई. स्वामित्व से 20% में से 4% उप लक्ष्य इयरमार्क होगा। सभी एमएसई फर्मों का भुगतान 45 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाता है।

कोकण रेलवे द्वारा किए गए खरीद और एमएसई को दिए गए आपूर्ति आदेश और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों द्वारा भागीदारी के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र	विवरण	नीति के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें	2023-24 के दौरान हासिल किया लक्ष्य	2024-25 के दौरान हासिल किया लक्ष्य	2025-26 मई 2025 तक के दौरान हासिल किया लक्ष्य
1	कुल वार्षिक खरीद (राशि करोड़ में)	--	156.88	112.98	42.13
2	एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (एससी / एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) (राशि करोड़ में)	--	87.81	61.32	27.32
3	एमएसई से खरीद का प्रतिशत (%) (एससी / एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित) कुल खरीद तहत	25%	55.97%	54.28%	64.85%
4	कुल खरीद से एससी / एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले केवल एमएसई से खरीद का कुल मूल्य।	--	0.38	6.17	0.27
5	कुल खरीद से एससी / एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले केवल एमएसई से खरीद का प्रतिशत।	4%	0.24%	5.47%	0.64%
6	महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से की गई खरीद	--	7.54	5.10	0.52
7	महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से की गई खरीद का प्रतिशत	3%	4.81%	4.52%	1.24%

(*) डिपो के आंकड़े सहित और तेल, डीजल, रेल और परियोजना खरीद को छोड़कर समग्र खरीद।

(#) जीईएम के माध्यम से एमएसई पर 2.53 करोड़ रुपये मूल्य के सेवा अनुबंध शामिल हैं।

3.4 खरीद कार्रवाई

उपयोगकर्ता विभागों से स्पष्ट मांग-पत्र मिलने पर कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। एस.आई. मोड्यूल जिसे मैसर्स टाटा इंफोटेक लिमिटेड द्वारा इंफार्मिक्स डाटा बेस पर विकसित किया गया है और जो रेलवे एप्लीकेशन पैकेज (आर.ए.पी.) का एकीकृत हिस्सा है, जिसमें सभी विभागों, उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी खरीद गतिविधि तथा आपूर्ति की प्राप्ति एवम् डिपो में उसके हिसाब-किताब की जानकारी रखी जाती है। एस.आई. मोड्यूल का दूसरे मोड्यूलों से इंटरफेस के साथ वित्त/कार्मिक मोड्यूल (पी.एम.) के साथ भी मुख्य इंटरफेस है। जब तक विक्रेता को भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक पूरी गतिविधि की निगरानी की जाती है।

3.5 निविदा पद्धति: - आपूर्ति करने वाले केवल अनुमोदित स्रोतों को ही सीमित निविदा जारी कर खरीद की जाती है जैसा कि उपरोक्त पैरा 3.1 में उल्लेख किया गया है। निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी), रूपए 25 लाख या उससे ऊपर डाउनलोड करने योग्य निविदाओं के साथ और ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पर्याप्त प्रसिद्धी हेतु आय.आर.ई.पी.एस पर प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह, सभी निविदाओं को भी सीपीपी (केंद्रीय सार्वजनिक खरीद) पोर्टल वेबसाइट (<http://eprocure.gov.in/cppp>) पर प्रकाशित कर रहे हैं। 25.00 लाख से अधिक की निविदाओं का निर्णय निविदा समिति के माध्यम से किया जाता है।

3.6 निविदा की विधि -

जो विक्रेता निविदाओं में भाग लेना चाहते हैं उन्हें निविदा में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आई.आर.एस.अनुबंध की शर्तों(KR)द्वारा नियंत्रित सामग्री की आपूर्ति, यदि कोई संविदा की विशेष शर्त हो तथा अन्य संविदा कानून जिसे कोट करने से पहले पढ़ा जाए। यदि वे अनुमोदित सूची में नहीं हैं तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को पंजीकरण के अधीन अलग से बताए गए प्रक्रिया के अनुसार एजेसी के साथ पंजीकरण करवा लें।

3.7 खरीद की मात्रा: -

मद	साल 2022-23 (रु करोड़)	साल 2023-24 (रु करोड़)	साल 2024-25 (रु करोड़)	साल 2025-26 (रु करोड़) मई 2025 तक
खरीद का कुल मूल्य	120.40	156.88	112.98	4212.85
एचएसडी तेल का कुल मूल्य	437.03	121.95	87.33	9.87
एचएसडी तेल सहित कुल खरीद	557.43	358.46	200.31	5200.14

(*) (डिपो के आंकड़े सहित और तेल, डीजल और रेल को छोड़कर समग्र खरीद।)



सामग्री प्रबंधन विभाग

4.0 किफायती सेवा:

4.1 **सामग्री की लागत:** - प्राप्त दरें प्रतिस्पर्धी होती हैं क्योंकि खरीद का क्रम छोटा होता है, निविदाएं कम अवधि में निपटाई जाती हैं, आम तौर पर मदों की सुपुर्दगी की मात्रा भी कम होती है, सामग्री का लेखा-जोखा शीघ्र निपटाया जाता है तथा भुगतान की भी शीघ्र व्यवस्था की जाती है। कंप्यूटरीकृत वातावरण में काम करने के कारण कर्मचारियों की मांग कम होने से खरीद की लागत भी कम ही होती है। सीबीडी बेलापुर कर्मचारियों की कुल कर्मचारियों की ताकत 31.03.2022 को 6 अधिकारी और 13 कर्मचारी हैं।

4.2 **जीएसटी: जीआरटी प्रावधान के अनुसार केआरसीएल सभी खरीद का पालन कर रहा है w.e.f. 01.07.2017.**

5.0 मुद्रण गतिविधियां -

5.1 इस रेल पर कंप्यूटर टिकटों अर्थात पी.आर.एस. और अनारक्षित टिकटों की आपूर्ति सहित पुस्तकों, फॉर्मों और ब्याज वारंटों का मुद्रण बाहर से कराया जाता है। मनी-वैल्यु के मदों का मुद्रण ऐसी फर्मों से कराया जाता है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक/इंडियन बैंक एसोशिएशन से क्लियरेंस प्राप्त हो जिससे सुरक्षा के मामलों की देख-भाल की जा सके।

5.2 पास, पी.टी.ओ., ई.एफ.टी. जैसे मदों तथा अन्य मनी वैल्यु पुस्तिकाओं में सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इनका मुद्रण निकटवर्ती रेलवे मुद्रणालयों से ही कराया जाता है। ऐसी मदों के लिए जहां वॉटरमार्क पेपर पर मुद्रण अपेक्षित हो, उसकी तदनुसार व्यवस्था की जाती है और यदि आवश्यक हो तो अनुमोदित स्रोतों से कागज खरीद कर उसकी आपूर्ति की जाती है।

6.0 लेखन-सामग्री मदों की आपूर्ति ।

6.1 **मांग प्रक्रिया तथा आवश्यकताओं का समेकन:-** लेखन सामग्री का कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और स्टेशनों के लिए समेकन किया जाता है।



सामग्री प्रबंधन विभाग

6.2 खरीद, आपूर्ति और वितरण:- खरीद के लिए एक साथ कार्रवाई तिमाही आधार पर की जाती है तथा एक महीने में आपूर्ति की व्यवस्था कर, अगली तिमाही के पहले सप्ताह में आपूर्ति की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों और स्टेशनों की आवश्यकता डिपो को भेजी जाती है। खरीद के समय को कम करने के लिए कई मदों की आपूर्ति हेतु रेट कांट्रैक्ट किए गए हैं। स्टेशनों की आवश्यकताओं के लिए दोनो क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टेशन यातायात प्रबंधकों (एस.टी.एम.) को सभी स्टेशनों का वितरण किया गया है।

7.0 **वर्दियां तथा सुरक्षात्मक कपडों की आपूर्ति** □-

7.1 वर्दी के लिए मापदंड आवश्यकता के आधार पर है और इससे संगठन की प्रतिष्ठा भी प्रमाणित की जानी चाहिए। यह वर्दी मौसम की स्थिति के लिए आरामदायी तथा कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए सुविधाजनक भी होनी चाहिए। इसे पूरा करने के लिए पात्र कर्मचारियों के लिए आवश्यक स्केल तथा स्टाईल के अनुरूप निर्धारित साईज□ अच्छे ब्रांड से दोनों शर्टिंग और शर्टिंग के लिए टेरिकोट कपड़े की गुणवत्ता के लेबल के साथ आपूर्ति की गई है। मानसून के लिए अच्छी गुणवत्ता के ब्रांडेड जूतों और सुरक्षात्मक कपडों की भी आपूर्ति की गई है। इससे कर्मचारियों की शिकायत को कम किया जा सकता है और इससे संगठन की प्रतिष्ठा और कार्य में भी सुधार होगा।

8.0 **मदों का स्टॉक सत्यापन -**

8.1 डिपो में रखे गए (सौंपे जाने वाले भंडार) सभी मदों का वर्ष में एक बार लेखा और भण्डार कर्मचारियों द्वारा स्टॉक सत्यापन किया जाता है। ऐसा कंपनी अधिनियम के अनुसार भी किया जाता है। स्टॉक शीट पर 3-6 महीने के समय में उत्तर देकर उसे बंद कर दिया जाता है।



सामग्री प्रबंधन विभाग

9.0 स्क्रेप बिक्री:-

9.1 इसमें कम वृद्धि है क्योंकि परिसंपत्तियां नई हैं, चल-स्टॉक का बड़ा हस्सा किराए पर है, सभी बड़े कार्य स्वामित्व वाली रेलवे द्वारा ही किए जाते हैं और कल-पुर्जे विनिर्माण की गतिविधियां भी नहीं हैं। आम तौर पर निपटान निर्माण की पुरानी परसंपत्तियों तक ही सीमित है जिनमें मशीनरी, वाहन और निगम द्वारा शुरू की गई कुछ परियोजनाओं से वापरस लौटाए गए मद ही शामिल हैं। जैसाकि कोंकण रेलवे पर अन्य रेलवे से स्क्रेप की तुलना करने पर स्क्रेप बहुत कम है, अन्य ज़ोनल रेलवे के साथ-साथ ई-नीलामी द्वारा बिक्री की व्यवस्था की जाती है।

9.2 बिक्री के निपटान के मूल्य:

मद	साल 2022-23 (रु करोड़)	साल 2023-24 (रु करोड़)	साल 2024-25 (रु करोड़)	साल 2025-26 (रु करोड़) मई 2025 तक
ई-नीलामी के माध्यम से कुल स्क्रेप का निपटान	26.02	37.25	41.13	3.26
धन की प्राप्ति	24.40	22.09	40.03	8.90

9.3 बिक्री निविदा में भागीदारी:-

खरीदकर्ता जो बिक्री निविदा में भागीदार बनने के इच्छुक है उन्हें निविदा में दर्शाए गए पात्र मापदंडों को पूरा करना होगा। सामग्री की बिक्री निविदा के लागू नियम और शर्तों के अनुसार होंगे जिसे दर्शाने के पहले पढ़ा जाए। इसके अलावा यदि वे अनुमोदित सूची में नहीं है तो उन्हें कोंकण रेलवे के साथ पंजीकरण के लिए अलग से बिक्री के लिए वेंडर रजिस्ट्रेशन के अधीन दी गई प्रक्रिया के अनुसार सूचित करना चाहिए।

भंडार नियंत्रक

-----0-----